

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग


क्रमांक : एफ.7 (53)परि/ नियम/मु./2014/पार्ट/2/298

जयपुर, दिनांक : 6/11/2018

आदेश

विभाग द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 13/2018 दिनांक 24.04.2018 जारी कर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 63 से 73 तक के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र के वाहन फिटनेस जांच केन्द्रों के विनियमन एवं नियंत्रण करने एवं उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु स्कीम "फिजा -2018" लागू की गई थी जिसमें फिजा-2011 के अंतर्गत पूर्व से संचालित निजी फिटनेस जांच केन्द्रों द्वारा फिजा-2018 के अनुरूप अर्हताओं की पूर्ति करने हेतु दिनांक 31.10.2018 तक की अवधि निर्धारित की गई थी, इस अवधि को फिजा-2018 के अनुसार upgradation करने हेतु दिनांक 31.12.2018 तक बढ़ाया जाता है।

उपरोक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(धर्मेन्द्र कुमार)

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक : एफ.2(1)टोहास/97/पार्ट फाईल-2 2/199-2/203

जयपुर, दिनांक : 06/11/2018

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्रों महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त महोदय।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)